

झारखंड के बिल्डरों को बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश का न्योता

रेरा बिहार के अध्यक्ष ने कहा, राज्य में **आवासीय परियोजनाओं** की व्यापक संभावनाएं

राज्य ब्यूरो, जागरण • रांची : बिहार के भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने झारखंड में कार्यरत बिल्डरों और निवेशकों को बिहार के रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। रera बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और राज्य में आवासीय परियोजनाओं की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से आम लोगों की आवासीय जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है। रांची में आयोजित 'रेरा बिहार से रूबरू' कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और रera निवेशकों के लिए ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं, जिससे राज्य में रियल एस्टेट कारोबार को नई गति मिल सके। कार्यक्रम का उद्देश्य झारखंड के बिल्डरों और संभावित घर खरीदारों को बिहार में उपलब्ध अवसरों तथा रera द्वारा लागू की गई पारदर्शी व्यवस्थाओं की जानकारी देनी थी।

निवेशकों के लिए आसान की गई प्रक्रिया : विवेक कुमार सिंह ने कहा कि प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट



'रेरा बिहार से रूबरू' कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारी • जागरण

खरीदारों और प्रमोटरों को दी गई जानकारी

रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय सिंह ने परियोजनाओं के रera निबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश से पहले खरीदारों को उसका पंजीकरण अवश्य जांचना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान रera बिहार की टीम ने विस्तृत प्रस्तुति देकर बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर में उपलब्ध अवसरों, प्रमोटरों के लिए आसान की

निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए फिल्टर आधारित व्यवस्था लागू की है। इससे प्रमोटरों को आवेदन के समय दस्तावेज जमा करने और स्वीकृति लेने में कम परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि यदि बिल्डर सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से जमा करते हैं तो

गई प्रक्रियाओं और घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। साथ ही जागरूकता बढ़ाने के लिए दो लघु फिल्में भी प्रदर्शित की गईं। कार्यक्रम के अंत में खुले संवाद सत्र में प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया गया, जिससे निवेशकों और खरीदारों को रera अधिनियम की बेहतर समझ मिल सकी।

प्राधिकरण निबंधन प्रक्रिया में सकारात्मक और सहयोगात्मक रवैया अपनाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रera बिहार केवल निवेश को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार की

रेरा बिहार ने झारखंड के बिल्डरों को बताया विकास और आसान कारोवारी माहौल का लाभ उठाने का अवसर

अनियमितता या उपभोक्ता हितों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाती है।

झारखंड के अधिकारियों ने की सराहना : कार्यक्रम में झारखंड के विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, झारखंड रera के अध्यक्ष बिरेन्द्र भूषण, राज्य के कई बिल्डर्स और बिहार में घर खरीदने के इच्छुक लोगों ने भाग लिया। विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने कहा कि रera बिहार की कार्यशैली सराहनीय है और झारखंड रera को भी इसी तरह घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। झारखंड रera के अध्यक्ष बिरेन्द्र भूषण ने कहा कि रera बिहार के कामकाज को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से कई उपयोगी जानकारियां मिली हैं, जिन्हें झारखंड में लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

विभ
ओ
वर्ग

राज्य
पिछ
सा
सर
क्रि
ज
पह
स
न
पि
है
रां
अ
स
1
वि